5 रु. Rs. 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

245

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग/ 3718 – I – 15

प्रकरण क्रमांक : /2015 निगरानी

कमलसिंह अहिरवार पुत्र स्व. प्यारा आयु 60 वर्ष
व्यवसाय- कृषि एव पेंशनर, निवासी ग्राम सुनारी
तहसील बासौदा, जिला विदिशा म.प्र.

-- निगरानीकर्ता

दिनांक 16-11-15 को श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
16-11-15
SO

बनाम

मोहन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्र श्री किशोरसिंह निवासी
ग्राम सुनारी, तहसील बासौदा, जिला विदिशा मप्र

— रेस्पोडेन्ट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू- राजस्वसंहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 15.6.2015 के सीमांकन न्यायालय तहसीलदार / पटवारी बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 97/अ 12/14-15 सीमांकन मामला मोहन्द्र सिंह द्वारा कराये गये सीमांकन के संबंध में उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी ।

==

माननीय न्यायालय
निगरानीकर्ता / आवेदक की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

(1) यह कि, रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदन सीमांकन बाबत कृषि भूमि स्थित सुनारी के सर्वे क्रमांक 305/1 रकबा 1.234 हेक्टेयर, का सीमांकन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया राजस्व निरीक्षक / पटवारी द्वारा दिनांक 15.6.15 को उक्त विवादित सीमांकन कार्यवाही की गई।

(2) यह कि, आवेदक / निगरानी कर्ता द्वारा दिनांक 17.6.15 को उक्त सीमांकन के संबंध मे आपत्ति की गई।

(3) यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा आपत्ति का मौके पर या बाद में

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3718-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनुपम मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	